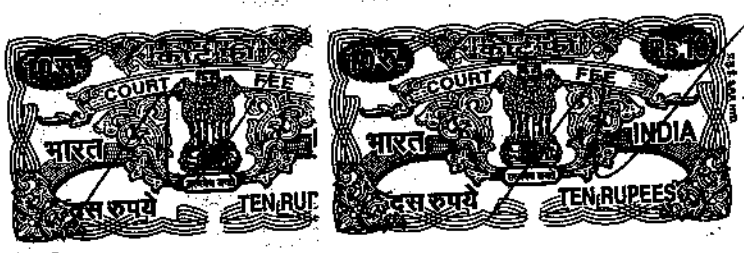

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

स्थि. 378-II/13

1. अजुद्दी तनय मुकुन्दा ढीमर
2. दरौआ तनय मुकुन्दा ढीमर
   दोनों निवासी ग्राम भंगवा तहसील बड़ा मलहरा,
   जिला–छतरपुर (म.प्र.) .....आवेदक

//विरूद्ध//

1. भगवानदास तनय भैयालाल विश्वकर्मा
2. नत्थू तनय भैयालाल विश्वकर्मा
3. गोरेलाल तनय भैयालाल विश्वकर्मा
   सभी निवासी ग्राम भंगवा तहसील बड़ा मलहरा,
   जिला–छतरपुर (म.प्र.) .....अनावेदक

आवेदन अंतर्गत् धारा 51 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

उपरोक्त आवेदक श्रीमान् न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक. 1279–एक/09 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 01/11/2012 से परिवेदित होकर यह पुनः विचार याचिका निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी जो कि अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, का निराकरण करते हुए अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार घुवारा के आदेश दिनांक 01.11.2003 को स्थिर रखा गया है। जिससे से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह पुनः विचार याचिका श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु. 378–दो/13 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
4-05-16	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1279–एक/2009 आदेश दिनांक 1.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 378–दो/13 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1279–एक/2009 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 1.11.2012 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 1279.–दो/13 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी	

रिव्यू- 378 ए/13

नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य